I/301446
संख्याः /XVII(4)/2025-5(07)2023(57518)

प्रेषक,

चन्द्रेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

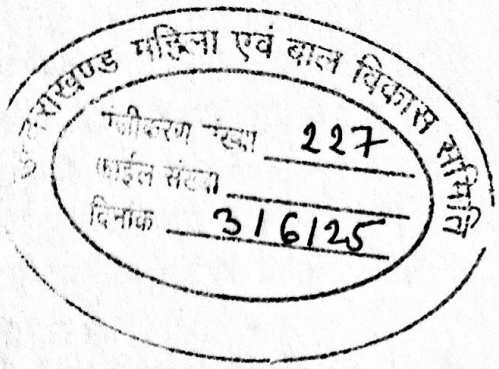

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक28मई, 2025

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा संख्या–151/2023 की पूर्ति/कियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के संचालन हेतु दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–829/378/UWCDS/2023–24 दिनांक 13.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा संख्या–151/2023 की पूर्ति/कियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के संचालन हेतु संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य की एकल (निराश्रित)/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान/गाँव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित किये जाने, व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के संचालन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था/दिशानिर्देश जारी किये जाते हैः–

<u>योजना का नाम– मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना</u>

1. **-योजना का संक्षिप्त परिचयः** 'मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना' एक सशक्त महिला उद्यमी योजना है जिसे उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में संचालित किया जायेगा। यह योजना उत्तराखण्ड की एकल (निराश्रित) महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने में कारगर सिद्ध होगी। उत्तराखण्ड राज्य की एकल (निराश्रित) महिलाओं से तात्पर्य ऐसी महिला से है जो एकल (निराश्रित) महिला, अविवाहित (जो परिवार पर आश्रित न हो), विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल (निराश्रित) महिलाएं व जिन महिलाओं के बच्चे

अवयस्क/अविवाहित पुत्री हो, जो अकेले ही अपना व अवयस्क बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी वहन कर रही हो व आर्थिक रूप से कमजोर हो, को समझा जायेगा।

2. **-योजना का उद्देश्यः** योजना का मुख्य उद्देश्य एकल (निराश्रित)/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान/गाँव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करना, व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना है।

3. **- योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदंडः**

1. महिला उत्तराखण्ड की मूल/स्थायी निवासी होनी चाहिये।

2. एकल (निराश्रित) महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिये।

3. एकल (निराश्रित) महिला, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल (निराश्रित) महिलाएं व जिन महिलाओं के बच्चे अवयस्क/अविवाहित पुत्री हो, जो अकेले ही अपनी व अवयस्क बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी वहन कर रही हो व आर्थिक रूप से कमजोर हो।

4. समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित परित्यक्ता महिला पात्र होगी, समाज कल्याण विभाग में परित्यकता के पंजीकृत न होने की दशा में ग्राम में प्रमाणपत्र ग्राम प्रधान द्वारा दिया जाएगा, तथा शहरी क्षेत्रों में प्रमाण पत्र निकाय अध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा। अपने क्षेत्रान्तर्गत मा0 विधायक एवं मा0 सांसद महोदय द्वारा भी प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा। ऐसे प्रमाण पत्र के साथ महिला द्वारा शपथ पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. कल्याणकारी योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं–यथा विधवा, दिव्यांग, आदि महिलाएं।

6. एकल (निराश्रित) महिला की पारिवरिक आय रू0 72,000/– (रू0 बहत्तर हजार मात्र) प्रति वर्ष।

7. किसी भी संगठित सेवा–सरकारी, गैर–सरकारी उपक्रम आदि में कार्यरत अथवा राजकीय/ पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिला योजना हेतु अपात्र होंगी।

8. राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अन्य रोजगार सम्बन्धी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं इसकी पात्र नहीं होगी।

9. पूर्व में किसी भी योजना की हितग्राही या वित्तीय संस्थान से defaulter महिला अपात्र होंगी।

10. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष ही चयनित एकल (निराश्रित) महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

11. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के द्वारा किसी भी प्रकार का दोहरा लाभ समान गतिविधि हेतु नही लिया है, के सम्बन्ध में नोटराईज्ड स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

12. योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु "पहले आओ पहले पाओं" पद्धति के अनुसार पात्र महिला को लाभान्वित किया जाएगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष नये

आवेदन आमंत्रित किए जाएगें।

13. योजनान्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में पात्र महिला लाभार्थी को लाभान्वित किया जाएगा।

4. - **योजना के अंतर्गत चयनित व्यवसाय** : इस योजना में स्वरोजगार के लिए महिलाओं को उनकी मांग एवं आवश्यकता आधारित किसी भी क्षेत्र में स्वरोजगार/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना में कृषि/बागवानी/पशुपालन/कुक्कुट पालन/भेड/बकरी/मत्स्य पालन/उद्यान/फल एवं खादय प्रसंस्करण/ब्यूटी पार्लर/बुटीक/रिपेयरिंग/आल्ट्रेशन/टेलरिंग/सौंदर्य प्रसाधन/जनरल स्टोर/ जलपान/टिफिन सर्विस/कैन्टीन/कैटरिंग/प्लम्बर /इलैक्ट्रीशियन/डाटा एण्ट्री कार्य हेतु/कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग/टेली कॉलिंग/हिन्दी कॉल सेंटर एवं अन्य किसी भी प्रकार के निजी व्यवसायों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

5. **योजना के अंतर्गत परियोजना की लागतः** योजनान्तर्गत रोजगार सम्बन्धी प्रस्ताव हेतु अधिकतम धनराशि रू0 2.00 लाख तक के कार्य/परियोजना स्वीकृत किये जायेंगे अथवा योजनान्तर्गत रोजगार सब्सिडी दी जा सकेगी, जिसके अनुसार लाभार्थी द्वारा स्वयं के स्त्रोतों/लोन के रूप में ली गई धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत अथवा रू0 1.50 लाख (जो भी अधिकतम हो) धनराशि की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

1. योजना के अंतर्गत परियोजना हेतु महिला को विभागीय अनुदान धनराशि 75% देय होगी एवं महिला का स्वयं का अंशदान 25% अनिवार्य रूप से देय होगा।

2. 75% विभागीय अनुदान लाभार्थी महिला को 03 किश्तों में क्रमशः प्रथम किश्त 50%, द्वितीय किश्त 30% एवं तृतीय किश्त 20% के रूप में प्रदान की जायेगी एवं उसी के अनुरूप ही लाभार्थी महिला को अपना अंशदान जमा करना होगा।

3. प्रथम किश्त 50% विभागीय अनुदान की प्राप्ति के समय लाभार्थी महिला के द्वारा योजना के अंतर्गत खुलवाये गये बैंक खाते में अपना 25 प्रतिशत का अंशदान का 50 प्रतिशत अर्थात कुल धनराशि का 12.5% (स्वयं की बचत राशि, बैंक लोन या अन्य स्रोतों) जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

4. लाभार्थी को अनुदान की प्रथम किश्त वितरण की **तिथि से 06 माह के** भीतर अपना स्वरोजगार आरम्भ किया जाना अनिवार्य होगा।

5. **प्रथम किश्त वितरण की तिथि से छः माह के भीतर स्वरोजगार प्रारम्भ न** किये जाने की दशा में दिये गये अनुदान/सब्सिडी की वसूली 01 प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज की दर से की जाएगी। इसे भू–राजस्व के बकाये की वसूली प्रकिया द्वारा वसूला जायेगा।

6. - **स्वीकृत अनुदान की किश्तों की अदायगी** : स्वीकृत परियोजना के तहत निम्न शर्तो के अधीन अनुदान की धनराशि निम्नवत दी जायेगीः–

क्र0	किश्त	शर्त (विभागीय अनुदान एवं लाभार्थी महिला के अंशदान हेतु)

1	विभागीय अनुदान की प्रथम किश्त 50%	लाभार्थी महिला के द्वारा योजना के अंतर्गत खुलवाये गये बैंक खाते में अपने 25 प्रतिशत अंशदान का 50% अर्थात 12.5% अंशदान जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त ही प्रथम किश्त निर्गत की जाएगी।
2	विभागीय अनुदान की द्वितीय किश्त 30%	प्रथम किश्त निर्गत होने के अधिकतम 06 माह व इससे पूर्व जो भी समय/अवधि होगी, में लाभार्थी महिला के द्वारा विभागीय अनुदान एवं स्वयं का अंशदान से व्यवसाय प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही विभागीय अनुदान की द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने से पूर्व लाभार्थी महिला को अपने अंशदान का 30% अंशदान खाते में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
3	विभागीय अनुदान की तृतीय किश्त 20%	द्वितीय किश्त निर्गत होने के पश्चात तीन माह के भीतर सफलतापूर्वक व्यवसाय का संचलन किया जा रहा है, का स्थलीय निरीक्षण एवं ऑडिट कराया जाएगा। स्थलीय निरीक्षण एवं ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर एवं लाभार्थी महिला के अंशदान की 20% धनराशि खाते में जमा कराये जाने पर विभागीय अनुदान की तृतीय किश्त निर्गत की जाएगी।"

परियोजना संचालन की समय एवं अनुदान निर्गत अवधिः 1 वर्ष

योजना के अंर्तगत लाभार्थी एवं परियोजना (व्यवसाय) गतिविधियों का चयनः इस योजना के अंर्तगत उपरोक्त में उल्लेखित उद्देश्यों के संचालन हेतु विभिन्न गतिविधियों के चयन हेतु जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर निम्नानुसार समितियों का गठन कर लाभर्थियों एवं व्यवसाय का चयन किया जायेगाः–

जनपद स्तरीय कमेटी

1. मुख्य विकास अधिकारी – अध्यक्ष
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी – सदस्य सचिव
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य
4. लीड बैंक विकास प्रबंधक (LDM) – सदस्य

जनपद में विभागान्तर्गत कार्यरत जिला कार्यकम अधिकारी के माध्यम से विकासखण्ड/बाल विकास परियोजना क्षेत्र हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र यथाप्रकिया प्राप्त किए जाएगें। विज्ञप्ति के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों का परीक्षण 01 माह के भीतर करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त समिति के समक्ष संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को जिला कार्यकम अधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिवस के भीतर निदेशालय को यथाप्रकिया उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य स्तरीय चयन कमेटी

1. - प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग – अध्यक्ष
2. - सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून अधिकारी –सदस्य
3. - निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग – सदस्य सचिव
4. - राज्य परियोजना अधिकारी, म0स0बा0वि0 – सदस्य

उक्त समिति समय समय पर जनपदों से प्राप्त संस्तुत प्रस्तावों का निर्धारित कार्यक्षेत्र के आधार एवं आवश्यकता व मांग आधारित विभिन्न गतिविधियों पर परीक्षणोंपरान्त अंतरिम स्वीकृति प्रदान करेगी।

7. **योजना हेतु वित्तीय प्राविधानः** वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु

- **वार्षिक लक्ष्य** : 2000 महिला लाभार्थी।
- **बजट प्राविधान** : 30.00 करोड़।

उक्त योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2025–26 से किया जा रहा है। उक्त योजना अनुदान संख्या 15–के लेखा शीर्षक 2235–02–103–36–00 मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत संचालित की जाएगी।

अतः उपर्युक्तानसार उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप सम्बन्धित योजना के संचालन की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 28-05-2025 11:17:08

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

संख्याः I/301446 /XVII(4)/2025-5(07)2023(57518) तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
02 निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
03. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
04. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
05. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
06. सचिव, मंत्रिपरिषद विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
07. उप सचिव/अनु सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
09. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।

PDF.js viewer https://eoffice.uk.gov.in/efile/assets/pdf.js-4.7.76-custom/web/view...

12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 28-05-2025
11:57:01
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।